प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.स 244/23 दिनांक 13/9/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धारा 7, पी.सी.एक्ट 1988(संशोधित2018)
   (2) अधिनियम भा.द.स. –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 265 समय 7:00 Pm
   (2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 12.09.2023 समय 06:07 पी.एम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06.09.2023 समय करीब 02:55 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **430** किलोमीटर
   (2) पता – भुवाणा चौराहा रोज मार्बल गली के बाहर थाना सुखेर जिला उदयपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   परिवादी

   (1) नाम : – श्री अंबालाल खटीक
   (2) पिता का नाम : – श्री रूपलाल जी
   (3) आयु : – 35 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
   (6) व्यवसाय : – मजदूरी
   (7) पता : – **माता जी का चौक गांव रामा तहसील बडगांव जिला उदयपुर।**
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   श्री देवकिशन शर्मा पुत्र श्री नन्दराम शर्मा उम्र 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 2/212 मीरानगर भुवाणा जिला उदयपुर हाल हैड कानि नम्बर 1282 पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	4,000 रूपये	

आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि नम्बर 1282 थाना सुखेर द्वारा परिवादी श्री अंबालाल खटीक के विरूध पुलिस थाना सुखेर में दर्ज प्रकरण संख्या 532/23 अन्तर्गत धारा 341,323,424,506,34 भादस में एफआर लगाने की एवज में परिवादी से 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी के हाथा जोडी करने पर 5,000 रूपये देने की सहमति देकर संत्यापन के दौरान ही 1000 रूपये ग्रहण करना तथा शेष 4,000 रूपये ग्रहण करने की सहमति देने पर आरोपी हैड कानि को परिवादी से 4,000 रूपये अपने हाथों से ग्रहण कर एक हरे रंग की प्लास्टिक की थैली में रखकर प्लास्टिक की थैली को सब्जी वाले की लारी के उपर रखी टोकरी के निचे रखना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 4,000
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

दिनांक 06.09.2023 को श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो एसयू उदयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हेल्पलाईन नम्बर 1064 से जरिये फोन परिवादी श्री अंबालाल खटीक पुत्र रूपलाल जी निवासी माताजी का चौक गांव रामा त. बडगांव जिला उदयपुर (राज.) के मोबाईल नम्बर 7023764499 प्रदान किये जाकर अग्रीम आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अम्बालाल खटीक से जरिये मोबाईल नम्बर सम्पर्क कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि '' मेरी पत्नी से मेरा झगडा होने से मेरी पत्नी ने मेरे विरूध पुलिस थाना सुखेर में एक शिकायत की थी जिस पर सुखेर थाने वालो ने मुझे तहसीलदार बडगांव से पाबन्द कराया था। इसके बाद मेरे एवं मेरी पत्नी के आपसी समझौता भी हो गया था। श्री देवकिशन जी शर्मा हेड साहब पुलिस थाना सुखेर मेरे खिलाफ कार्यवाही बंद करने के नाम पर 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है''। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थिति हेतु पाबन्द कराया। समय करीब 2.55 पीएम पर परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं श्री हीरालाल खटीक (परिवादी का भाई) दोनो ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुए। परिवादी श्री अंबालाल खटीक ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 06.09.2023 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि '' मैं अम्बालाल खटीक पुत्र रूपलाल जी निवासी माताजी का चौक गांव रामा त. बडगांव जिला उदयपुर (राज.) का निवासी हुं मेरा मेरी पत्नी से झगडा हो जाने पर मेरी पत्नी ने सुखेर थाना में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दी जिस पर सुखेर थाने से मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ। जिस पर मैं बडगांव तहसील में 1 अगस्त को पेश हुआ। उसके बाद मुझे 6 महीने के लिये पाबन्द किया। मेरी पत्नी ललिता खटीक ने मेरे, भाई श्री सुरेश खटीक एवं अंकल के लडके श्री हरिश खटीक के खिलाफ पुलिस थाना सुखेर में एक मुकदमा नम्बर 532/23 दर्ज करवाया जिसकी जांच श्री देवकिशन शर्मा हैड साहब पुलिस थाना सुखेर कर रहे है। जिस पर मैं हैड साहब देवकिशन शर्मा से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि मैं तुझे और तेरे भाईयों को जेल में फिट करवा दूंगा। मुकदमे की जांच मैं कर रहा हूं। जिस पर मेने उनसे हाथा जोडी की ओर बताया कि मेरी पत्नी ललिता ने मेरे व मेरे भाईयों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। हम निर्दोष है। जिस पर हैड साहब ने कहा कि तुम्हारे मुकदमें में तुम्हारे दोनो भाईयों के नाम निकाल दूंगा ओर प्रकरण में एफआर लगा दूंगा। इसके एवज मुझे 20,000 रूपये रिश्वत के देने पडेंगे। जिस पर मेने उनसे काफी हाथा जोडी करी पर वो नही माने तथा पैसे नही देने पर मारपीट कर जेल में डालने की धमकी दी। मै देवकिशन शर्मा को पैसा नही देना चाहता हू तथा रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी देव किशन शर्मा से कोई दूश्मनी नही है ना ही कोई उधार लेन देन है''। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में मजीद पुछताछ की तो उसके द्वारा शब्द-ब-शब्द सत्य होकर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया होने संबंधी ताईद की गई। मामला लोक सेवक द्वारा रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) में वर्णित अपराध की परिधि में होना पाया जानें से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड लगा हुआ को निकलवाकर परिवादी को उसके संचालन एवं रख रखाव की विधि की समझाईश की गई। तत्पश्चात् श्री भारतसिंह कानि को तलब कर परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं श्री हीरालाल खटीक (परिवादी का भाई) का परिचय श्री भारतसिंह कानि से करवाया। समय करीब 04.15 पीएम पर श्री भारतसिंह कानि को परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं हीरालाल खटीक के साथ पुलिस थाना सुखेर जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकार्डिंग कर लाने हेतु हिदायत देकर श्री भारतसिंह कानि को डिजिटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री अम्बालाल खटीक एवं श्री हीरालाल के साथ पुलिस थाना सुखेर की तरफ रवाना किया गया। समय 07.10 पीएम पर श्री भारतसिंह कानि ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये फोन (वाट्सअप कॉल) बताया कि आदेशानुसार मैं मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं श्री हीरालाल खटीक ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो पुलिस थाना सुखेर से कुछ दुरी पहले पहुंचे। मेने ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री अंबालाल खटीक को दिया जिसे उसने अपने पहने हुए कपडो में छुपाकर परिवादी श्री अंबलालाल खटीक एवं उसका भाई श्री हीरालाल खटीक दोनो पुलिस थाना सुखेर पर गये मैं पुलिस थाने के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं उसका भाई दोनो मेरे पास आये एवं मुझे डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू अवस्था में दिया जिसे बंद कर मेने अपने पास रखा। इसके बाद परिवादी श्री अंबालाल ने बताया कि मैं थाने में जाकर श्री देवकिशन शर्मा हेड साहब से मिला तो उन्होने मेरे मामले में एफआर देने के नाम पर मुझसे 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जिस पर मेरे निवेदन करने पर श्री देवकिशन जी शर्मा ने 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मेने कहा कि मेरे पास इतने रूपये नही है तो उन्होने 5,000 रूपये देने की स्वीकृति दी जिस पर मेने अपने पास से

500–500 रूपये के दो नोट कुल 1000 रूपये उन्हे दिये थे। श्री देवकिशन शर्मा हैड साहब ने मेरा पहले से एक पुछताछ नोट बना रखा था जिस पर मेरे हस्ताक्षर भी करवाये थे। श्री भारतसिंह कानि ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री अंबालाल खटीक की बेटी बिमार है एवं घर पर आवश्यक काम होने से आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि को रिश्वत में देने हेतु 4000 रूपये की व्यवस्था कर 3–4 दिन में ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो जाएगा। जिस पर अतिरिक्त पलिस अधीक्षक द्वारा श्री भारतसिंह कानि को परिवादी को मुनासिब हिदायत के पाबन्द कर रूखसत करने तथा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखकर लॉक करने की हिदायत दी गई।

दिनांक 08.09.2023 श्री भारतसिंह कानि ने कार्यालय की अलमारी का ताला खोलकर उसमें सुरक्षित रखा हुआ ब्यूरो का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश कर बताया कि दिनांक 06.09.2023 को निर्देशानुसार मैं परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं श्री हीरालाल खटीक (परिवादी के भाई) के साथ सुखेर थाने पर जाकर परिवादी, परिवादी के भाई एवं संदिग्ध श्री देवकिशन शर्मा हेडकानि के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया है जिसे मेने ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चलाकर दिनांक 06.09.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यान वार्ता को चलाकर सुना गया तो संदिग्ध श्री देवकिशन शर्मा हेड द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना पाया गया। श्री भारतसिंह कानि ने बताया कि परिवादी के परिवार में कोई आवश्यक कार्य होने से संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करके वह एक दो दिन में ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होगा। जिस पर श्री भारत सिंह कानि को परिवादी की तलबी हेतु आवश्यक हिदायत दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा।

दिनांक 11.09.2023 श्री उमेश ओझा, अतिरिकत पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को उनके कक्ष में बुलाकर परिवादी का उक्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2023 मय ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर देकर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। डिजिटल वॉइस रिकोर्डर को अपने कार्यालय कक्ष में लाकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता दिनांक 06. 09.2023 को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। श्री भारत सिंह कानि को परिवादी श्री अंबालाल खटीक को ब्यूरो कार्यालय पर तलब करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 05.00 पीएम पर परिवादी श्री अंबालाल खटीक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुआ। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में बिठाकर परिवादी की शिकायत के संबन्ध में आवश्यक पुछताछ की गई। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता दिनांक 06.09.2023 को चलाकर सुनाया तो परिवादी वार्ता में एक आवाज स्वयं एक आवाज उसके भाई हीरा लाल खटीक की एवं एक आवाज श्री संदिग्ध श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि की होना बताया। परिवादी ने बताया कि मैं कल दिनांक 12.09.2023 को प्रातः संदिग्ध आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि को दी जाने वाली रिश्वत राशि 4000 रूपये लेकर इस कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा जिस पर परिवादी को रूखसत किया। श्री भारत सिंह कानि को सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम लिखित तेहरीर देकर स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द कराये।

दिनांक 12.09.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु जरिये दूरभाष नगर विकास प्रन्यास उदयपुर सम्पर्क किया तो गवाह श्री प्रमोद पटेल नगर नियोजक का स्वास्थय खराब होने से उसके स्थान पर श्री भगवतीलाल माली कनिष्ठ सहायक नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को पाबन्द करना बताया गया। पुर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री अंबालाल खटीक ब्यूरों एसयू कार्यालय में उपस्थित हुआ। परिवादी ने बताया कि श्री देवकिशन शर्मा हेडकानि को दी जाने वाली रिश्वत राशि 4,000 रूपये अपने साथ लेकर आया हूं। जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। कुछ समय पश्चात स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर पुत्र श्री शंकर लाल जी बुनकर, उम्र 52 वर्ष निवासी मकान नं. 4, सेक्टर नं. 05, हिरणमगरी, उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर एवं श्री भगवती लाल माली पुत्र श्री जगन्नाथ जी उम्र 37 वर्ष निवासी गांव चिकलवास तहसील बडगांव जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुए। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह सम्मिलित रहने हेतु दोनों गवाहों से उनकी सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाह का परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2023 पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने

शब्द-ब-शब्द स्वयं की हस्तलिपि में अंकित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होने तथा अंकित तथ्यों के सत्य होने की पुष्टि की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी एवं गवाहान के समक्ष उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.09.2023 के मुख्य अंश को चलाकर सुना गया तो गवाहान ने रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की।

तत्पश्चात् समय करीब 10:55 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री अम्बालाल खटीक से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

कम सं.	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 AQ 293994
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 AV 914697
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 RN 423149
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 RF 793717
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 BA 420282
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 NA 043098
7	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 BC 854173
8	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 FV 413823

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो के नंबरों का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री विनोद कुमार कनिष्ठ लिपिक से ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपयें के नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री विनोद कुमार कनिष्ठ लिपिक से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को श्री विनोद कुमार कनिष्ठ लिपिक से परिवादी की पहनी हुई जिन्स पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री विनोद कुमार कनिष्ठ लिपिक से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कुमार कानि से एक नये साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री विनोद कुमार कनिष्ठ लिपिक की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफथेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जायेगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री विनोद कुमार कनिष्ठ लिपिक से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया कर उपरोक्त प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास एवं अखबार को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि को उनकी मांग अनुसार 4,000/- रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कुमार कानि से साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान लिवाई गई एवं स्वतंत्र गवाहान की जामा तलाशी आपस में एक दूसरें से लिवाई गई। जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले

रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को पुनः डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि को समझा कर हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक और ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखकर अपने सिर पर दो बार एक हाथ फैर कर ईशारा करें। यदि थाने से बाहर नही आने की स्थिति में अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर या श्री भारतसिंह कानि के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल या कॉल कर ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक एवं श्री भारत सिंह कानि के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल फोन में सेव करवाये। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशी को श्री विनोद कुमार कनिष्ठ लिपिक से पुनः कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात समय करीब 11.20 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं श्री दिनेश कुमार कानि को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से तथा श्री राजेश कुमार कानि को सरकारी मोटर साईकिल से आगे – आगे रवाना कर पीछे – पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर, श्री भगवतीलाल माली, श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि, श्री लालसिंह हेड कानि, श्री भारतसिंह कानि मय प्रिन्टर लेपटॉप, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधनो के मय प्राईवेट टेक्सी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से पुलिस थाना सुखेर की तरफ रवाना हो पुलिस थाना सुखेर से कुछ दुरी पहले पहंचे। परिवादी श्री अंबालाल को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर उसके रख रखाव के बारे में समझाईश कर दिया जिसे उसने अपने पहने हुए कपडो में रखा। इसके बाद परिवादी को पुलिस थाना सुखेर पर ओर रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान गवाहान जाब्ता के पुलिस थाने के आसपास ही अपनी अपनी मौजूदगी को छुपाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे मे खडे रहे। परिवादी पुलिस थाना सुखेर में जाकर कुछ समय बाद पूर्व निर्धारित ईशारा किये बिना पुनः बाहर आकर आपनी मोटर साईकिल लेकर थाने से भुवाणा चौराहा की ओर रवाना हुआ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान अपने अपने वाहनो से रवाना हो कुछ दूरी पर परिवादी के पास पहंचे। परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे मेने बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि मैं पुलिस थाना सुखेर पर गया जहां थाने पर श्री देवकिशन जी शर्मा हेड साहब नजर नही आये जिस पर मेने थाने में उपस्थित स्टाफ से पुछा तो थाने पर नही होना बताया जिस पर समय करीब 11.39 एएम पर मेने अपने मोबाईल नम्बर 7023764499 से श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि के मोबाईल नम्बर 9460254104 पर कॉल किया तो उन्होने थाने से बाहर होना बताया एवं शाम को पुनः थाने पर बुलाया है। जिस पर गवाह श्री मांगीलाल बुनकर वरिष्ठ सहायक से परिवादी की जेब में रखी आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 4,000 रूपये निकलवाये जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवायें गये। गवाह श्री मांगीलाल बुनकर के हाथों को वाहन मे रखी पानी के बोतल एवं साबून से धुलवाये। परिवादी को गोपनीयता बरतने एवं सायं 04.00 पीएम पर ब्यूरो पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त गवाहान जाब्ता के अपने अपने वाहनो से सुखेर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुआ। गवाहान को सायं 04.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया। ट्रेप बॉक्स को मालखाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि को संभलाया। समय करीब 05.00 पीएम तलबीशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर वरिष्ठ सहायक एवं श्री भगवती लाल माली कनिष्ठ सहायक उपस्थित हुए जिन्हें कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तलबीशुदा परिवादी श्री अंबालाल खटीक उपस्थित हुआ जिसे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि की लोकेशन का पता करने हेतु समय करीब 05.23 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 7023764499 से श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि के मोबाईल नम्बर 9460254104 पर परिवादी के फोन को लॉउड मॉड चालूकर वार्ता करवाई तो संदिग्ध द्वारा परिवादी को थाने पर बुलाया गया। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। ट्रेप बॉक्स में रखे लिफाफे में रखी रिश्वत राशि को श्री विनोद कुमार कनिष्ठ लिपिक से लिफाफे से निकलवाकर पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी से मिलान करा परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहीनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाई गई। परिवादी को पुनः हिदायत दी की आरोपी से हाथ नही मिलावे एवं आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने के पश्चात अपने ब्यूरो टीम के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के या श्री भारत सिंह कानि के मोबाईल फोन पर कॉल कर निर्धारित ईशारा करे। श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो पर उपस्थित रहने की हिदायत दी गई।

तत्पश्चात समय करीब 05.35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं श्री दिनेश कुमार कानि को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से तथा श्री राजेश कुमार कानि को निजी मोटर साईकिल से आगे – आगे रवाना कर पीछे – पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर, श्री भगवतीलाल माली, श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि, श्री लालसिंह हेड कानि, श्री भारतसिंह कानि मय प्रिन्टर लेपटॉप, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधनो के मय प्राईवेट टेक्सी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से पुलिस थाना सुखेर की तरफ रवाना हो समय करीब 05.55 पीएम पर पुलिस थाना सुखेर से कुछ दूरी पहले पहुंचे। वाहनो को एक तरफ खडा किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया जिसे उसने अपने पहने हुए कपडों में छुपाया । इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से पुलिस थाना सुखेर की ओर आगे आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाब्ता अपने अपने वाहनों से परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे पीछे पुलिस थाना सुखेर के पास पहूंचे। परिवादी अपनी मोटरसाईकिल को थाने के बाहर खडी कर थाने के अन्दर गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वंतत्र गवाहान जाब्ता थाने के आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में खडे रहे थे। कुछ समय बाद परिवादी बिना पूर्व निर्धारित ईशारा किये ही एक सादा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के साथ थाने से बाहर आया। उक्त सादा वस्त्र धारी व्यक्ति परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे बैठकर भुवाणा चौराहे की तरफ जाने लगा। पूर्व निर्धारित ईशारा नही मिलने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, जाब्ता श्री सुरेश सोनी सउनि, श्री लाल सिंह हेड कानि एवं श्री भारतसिंह कानि को टैक्सी वाहने से तथा श्री राजेश कुमार कानि एवं श्री दिनेश कुमार कानि को अपनी मोटर साईकिल से परिवादी की मोटर साईकिल के पीछे पीछे आने का ईशारा कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे पीछे भुवाणा चौराहे की ओर रवाना हुआ। भुवाणा चौराहे पर परिवादी ने रोड के एक साईड अपनी मोटर साईकिल खडी की एवं दोनो मोटर साईकिल से नीचे उतरे। मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान जाब्ता टैक्सी वाहन को थोडी दूरी पर खडा कर टैक्सी वाहन मे बैठे रहे। इसी दौरान समय करीब 06.06 पीएम पर परिवादी ने अपनी पहनी हई पेंट की दाहीनी जेब से रिश्वत राशि निकालकर उसके साथ मोटर साईकिल पर आये उक्त व्यक्ति सादा वस्त्रधारी को दी जिसे मन् पुलिस निरीक्षक, गवाहान एवं जाब्ता ने अपनी आखों से देखा। उक्त व्यक्ति ने रिश्वत राशि को अपने हाथों में लेकर परिवादी को जाने का ईशारा किया तथा स्वयं पास ही खडे सब्जी वाले की लारी की तरफ आया और लारी से एक प्लास्टिक की हरे रंग की थैली लेकर उसमे उक्त रिश्वत राशि को रखा तथा उक्त प्लास्टिक की थैली को लारी पर रखी टोकरी के नीचे रखा जिसे मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं उपस्थित जाब्ता ने अपनी आखों से देखा। वास्तविकता ज्ञात करने के लिये मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर श्री भारतसिंह कानि ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी श्री अंबालाल खटीक के मोबाईल फोन पर कॉल किया तो परिवादी ने भी आरोपी को रिश्वत राशि देना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमारा गवाहान जाब्ता के उक्त लारी के पास पहुंचा तो उक्त सादा वस्त्र पहना व्यक्ति लारी पर पडी पीने के पानी की बोतल से अपने हाथ धो रहा था। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भारत सिंह कानि को परिवादी श्री अंबालाल खटीक से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत दी। इसी दौरान परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को उक्त सादा वस्त्र धारी व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री देवकिशन शर्मा हैड साहब है जिन्होने मेरे से अभी अभी 4,000 रूपये रिश्वत राशि लेकर अपने हाथो में लेकर सब्जी की लारी की तरफ गये तथा मेने अपने फोन से श्री भारत सिंह जी के फोन पर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त सादा वस्त्र धारी व्यक्ति को अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर अपने आने के मंतव्य से अवगत करा उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि नम्बर 1282 पुलिस थाना सुखेर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अंबालाल खटीक से रिश्वत राशि 4000 रूपये ग्रहण करने के बारे में पुछने पर आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि उग्र होकर हो हल्ला करने लगा एवं गवाहान जाब्ता को देखकर चिल्लाने लगा तथा कहने लगा कि मेने किसी से कोई पैसे नही लिये है मैं किसी अंबालाल खटीक को नही जानता हूं। मेरे पास श्री अंबालाल खटीक के विरूध कोई शिकायत जांच के लिये नही आयी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री देवकिशन शर्मा को तसल्ली देकर परिवादी श्री अंबालाल खटीक से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे पुछा तो आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि चिल्लाने लगा जिससे आसपास भीड भाड होने लगी। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त लारी पर खडे व्यक्ति से उसका नाम पुछा तो उसने अपना नाम कालू सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी मदारडा उदयपुर होना बताया तथा पुछने पर बताया कि ये साहब अभी अभी मेरी लारी पर आये तथा सब्जी का भाव पुछा और मेरी

लारी पर पडी हुई सब्जी लेने की हरे रंग की प्लास्टिक की थैली लेकर उसमें कुछ रूपये रखकर थैली को सब्जी की टोकरी के नीचे रखकर पानी की बोतल से हाथ धोये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल कनिष्ठ सहायक से उक्त लारी पर रखी सब्जी की टोकरी के नीचे रखी हरे रंग की प्लास्टिक की थैली को निकलवाकर दिखवाया तो श्री भगवती लाल कनिष्ठ सहायक ने थैली में 500–500 रूपये के कुछ नोट होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त थैली मय राशि को यथास्थिति गवाह श्री भगवती लाल माली के पास ही सुरक्षित रखने की हिदायत दी। घटना स्थल आम चौराहा होने एवं मौके भीड भाड होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित जाब्ता से आरोपी के दोनो हाथों को कलाई के उपर से पकडवाकर टैक्सी वाहन में बिठाकर मय हमराहियान जाब्ता के पुलिस थाना सखेर की तरफ रवाना हुआ। श्री राजेश कुमार कानि को अपनी मोटर साईकिल से श्री कालू सिंह एवं गवाह श्री भगवती लाल खटीक को तथा श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि को स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर एवं परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से थाना सुखेर हेतु रवाना होने की हिदायद दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता के अपने वाहन से भुवाणा चौराहे से रवाना हो पुलिस थाना सुखेर पहुंचा। गवाहान जाब्ता भी थाने पर उपस्थित हुए। थाने पर श्री लालसिंह सहायक उप निरीक्षक ड्यूटी अधिकारी उपस्थित मिले जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर अग्रीम कार्यवाही करने हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराने हेतु बताया। जिस पर उन्होने एक कक्ष उपलब्ध करवाया। श्री भारतसिंह कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को बंद अवस्था में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दिया जिसे मेने अपने पास सुरक्षित रखा। स्वतंत्र गवाहान परिवादी की उपस्थिति में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा तसल्ली देकर आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि से उसका पुरा नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री देवकिशन शर्मा पुत्र श्री नन्दराम शर्मा उम्र 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 2/212 मीरानगर भुवाणा जिला उदयपुर हाल हैड कानि नम्बर 1282 पुलिस थाना सुखेर होना बताया। आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि को परिवादी श्री अंबालाल खटीक से ग्रहण किये गये 4000 रूपये रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो देवकिशन शर्मा हेड कानि ने बताया कि '' श्री अंबालाल खटीक पिता रूपलाल खटीक, इसके भाई श्री सुरेश खटीक एवं श्री हरिश खटीक के विरूध पुलिस थाना सुखेर पर प्रकरण संख्या 532/23 अन्तर्गत धारा 341,323,452,506 एवं 34 भादस में प्रकरण दर्ज है। उक्त प्रकरण की परिवादीया श्रीमति ललिता खटीक उर्फ राखी पुत्री भगवतीलाल खटीक है। उक्त प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। मेने श्री अंबालाल खटीक को कभी थाने पर नहीं बुलाया था। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने बताया कि श्री देवकिशन शर्मा हेड साहब झूठ बोल रहे है। इन्होने मुझे फोन करके थाने पर बुलाया तो मैं थाने पर गया था जिस पर हैड साहब ने मुकदमें में मेरे भाईयों का नाम निकालने एवं मुकदमें में एफआर लगाने के नाम पर 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। मेने हैड साहब से हाथा जोडी की तो उन्होने कहा कि मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुझे एवं तेरे भाईयों को जेल में डाल दूंगा। इसलिये मेने दिनांक 06.09.2023 को एसीबी हेल्पलाईन नम्बर 1064 पर कॉल कर दिनांक 06.09.2023 को ही एसीबी कार्यालय स्पेशल यूनिट उदयपुर जाकर शिकायत दी। दिनांक 06.09.2023 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि ने मेरे से 20,000 रूपये की मांग की जिस पर मेरे निवेदन करने पर हैड साहब ने 5,000 रूपये रिश्वत राशि लेने की स्वीकृति दी तथा उसी दौराने मेरे से 1000 रूपये मांग कर ग्रहण किये तथा आज शेष 4,000 रूपये रिश्वत राशि देने के लिये मैं थाने पर जाकर श्री देवकिशन जी शर्मा हेड साहब से मिला तो उन्होने मेरे मुकदमें के संबन्ध में वार्ता की तथा मुझे बताया कि तुम्हारी मोटरसाईकिल से मुझे थोडा आगे छोड दो जिस पर मैं हैड साहब श्री देवकिशन जी को अपनी मोटरसाईकिल पर बिठाकर भुवाणा चौराहा की ओर आया। हेड साहब ने मोटरसाईकिल रूकवाई जिस पर मेने हैड साहब को उनकी मांग के अनुसार शेष 4000 रूपये रिश्वत राशि दिये जो इन्होने अपने हाथो में लेकर सब्जी की लारी की तरफ गये इसी दौरान श्री भारत सिंह जी का फोन मेरे फोन पर आया तो मेने उन्हे रिश्वत राशि हैड साहब को देना बताया। जिस पर श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि नम्बर 1282 अपनी नजरे नीची कर ली एवं रोने लगा तथा कहा कि आईन्दा ऐसी गलती कभी नही करूंगा एक बार मुझे माफ कर दो। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उसे आश्वासन देकर शांत किया। आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशी के बारें में वास्तविकता जानने हेतु जाब्ता से टेक्सी वाहन में रखा ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर से दो नई पारदर्शी प्लास्टिक की डिस्पोजल की गिलासे निकलवाकर दोनो गिलासो में थाने में रखी पीने के पानी की बोतल से साफ पीने का पानी भरवाकर स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाई जाकर एक एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक पारदर्शी प्लास्टिक की गिलास के घोल में आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को

डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमेला हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच. –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमैला हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच. –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल माली कनिष्ठ सहायक के पास रखी हरे रंग की प्लास्टिक थैली में रखी राशि को निकलवाकर श्री भगवती लाल कनिष्ठ सहायक से गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपये होना पाया गया। उक्त नोटो का मिलान गवाह श्री भगवती लाल माली से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों कें नंबर से मिलान करवाया तो नम्बरो का मिलान निम्नानुसार हुबहु होना पाया गया जिनके नम्बर निम्नुसार है–

क्रम सं.	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 AQ 293994
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 AV 914697
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 RN 423149
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 RF 793717
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 BA 420282
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 NA 043098
7	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 BC 854173
8	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 FV 413823

जिस पर उक्त नोटों को वजह सबूत कागज की चिट में सीलबंद किया जाकर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त हरे रंग की प्लास्टिक की थैली जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात रिश्वत राशि को रखा था जहां से रिश्वत राशि बरामद हुइ। इस कारण उक्त प्लाटिक की हरे रंग की थैली के अन्दर राशि रखे स्थान का धोवन प्रक्रियानुसार लिया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से ट्रेप बॉक्स मे से एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें पीने के पानी की बॉटल में से साफ पानी को गिलास में भरवाया जाकर गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पानी के घोल में उक्त हरे रंग की प्लास्टिक की थैली को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क पी–1 व पी –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त प्लास्टिक की थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थेली में सीलबंद कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जें ब्यूरों लिया गया।

तत्पश्चात् आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि से परिवादी के विरूध थाने पर दर्ज प्रकरण संख्या 532/23 की पत्रावली मांगने पर आरोपी ने थाने में रखी अपने कार्य करने की टेबल की दराज से प्रकरण संख्या 532/23 की पत्रावली प्रस्तुत की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। पुलिस थाना सुखेर के प्रकरण संख्या 532/23 अन्तर्गत धारा 341,323,452,506 एवं 34 भादस में प्रकरण दर्ज है। उक्त प्रकरण की परिवादीया श्रीमति ललिता खटीक उर्फ राखी पुत्री भगवतीलाल खटीक है। श्री देवकिशन शर्मा हैड कानि द्वारा अनुसंधान कर गवाहान के कथन लिये गये है तथा फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब किया गया है। पत्रावली में परिवादी श्री अंबालाल खटीक द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर के समक्ष किये गये परिवाद की प्रति एवं परिवादी का पुछताछ नोट संलग्न है। तत्तपश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के विरूध पुलिस थाना सुखेर पर दर्ज अन्य प्रकरण /परिवाद से संबधित दस्तावेज चाहने हेतु लिखित में थानाधिकारी पुलिस थाना सुखेर के नाम तहरीर दी गई। उक्त पत्रावली प्रकरण संख्या 532/23 पेज संख्या 01 से 42 मय डीवीडी मूल ही वजह सबूत शामिल कार्यवाही की गई। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मुर्तिब कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् थाने पर भीड भाड होने एवं ट्रेप कार्यवाही में बार बार व्यवधान होने से समय करीब 07:45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर, श्री भगवती लाल माली, मय आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हैड कानि., परिवादी श्री अंबालाल खटीक, श्री सुरेश कुमार सोनी मय सिलचिट शुदा मालखाना आर्टीकल, श्री लाल सिंह हेड कानि, श्री दिनेश कुमार कानि, श्री भारत सिंह कानि एवं श्री राजेश कुमार कानि के मय ब्यूरो का लेपटोप प्रिन्टर संसाधनो के मय प्राईवेट टेक्सी वाहन एवं मोटरसाईकिल से पुलिस थाना सुखेर से रवाना हो समय करीब 08:05 पीएम पर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो इकाई एसयू उदयपुर पहुंचा। मालखाना आर्टीकल श्री सुरेश कुमार सोनी मालखाना प्रभारी को संभलाये गये। परिवादी के भाई श्री हीरालाल खटीक की तलबी हेतु परिवादी के फोन से जरिये फोन सुचित कराया गया। तत्तपश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान जाब्ता श्री सुरेश कुमार सोनी श्री राजेश कुमार कानि के मय ब्यूरो का लेपटोप प्रिन्टर संसाधनो के मय प्राईवेट टेक्सी वाहन से आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि के निवास स्थान मकान नम्बर 2/212 मीरा नगर भुवाणा उदयपुर जाकर मकान की नियमानुसार खानातलाशी लेकर फर्द मुर्तिब कर पुनः ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी का भाई श्री हीरालाल खटीक तलबीदा उपस्थित हुआ।

इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 06.09.2023 को परिवादी श्री अंबालाल खटीक, श्री हीरालाल खटीक (परिवादी का भाई) एवं संदिग्ध आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेडकानि के मध्य पुलिस थाना सुखेर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि ने अपनी अपनी आवाज की होने की ताईद की। जिस पर श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क ''A'' अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये। इसके बाद दिनांक 12.09.2023 समय करीब 05.23 पीएम पर परिवादी श्री अंबालाल खटीक के मोबाईल फोन नम्बर 7023764499 से आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि के मोबाईल नम्बर 9460254104 पर हुई वार्ता जिसे डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि ने अपनी अपनी आवाज होना ताईद की। श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क ''B'' अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये। इसके बाद परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हैड कानि के मध्य पुलिस थाना सुखेर एवं उसके पश्चात परिवादी की मोटर साईकिल पर चलते हुए रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि ने अपनी अपनी आवाज की होने की ताईद की। श्री दिनेश कुमार कानि0 से उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क ''C'' अंकित कर थैली पर गवाह, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवायें गये।
तत्पश्चात् समय करीब 03:00 एएम पर आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि नम्बर 1282 पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार आरोपी के परिजनो को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03:30 एएम पर आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हैड कानि की गिरफ्तारी के दौरान जामातलाशी में मिला एक मोबाईल फोन xiaomi-5G MIUI GLOBAL 14.0.6 बरंग हल्का आसमानी ड्यूअल सिम जिसके आईएमईआई नम्बर क्रमशः प्रथम 860588054278851 एवं दूसरा आईएमईआई नम्बर 860588054278869 है। उक्त मोबाईल ड्यूअल सिम होकर एक सिम जिओ कम्पनी की 9460254104 एवं दूसरी सिम बीएसएनएल 9461651905

है। उक्त मोबाईल को वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क ''M'' अंकित किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 06.09.2023 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.09.2023 को हुई मोबाईल फोन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता के दौरान डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बरंग ब्लेक को मूल ही परिवादी एवं गवाहान आरोपी के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर वजह सबूत एक छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में रखा जाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क ''M -1'' अंकित किया गया।

आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि को रिश्वत राशि मांग सत्यापन, मोबाईल फोन वार्ता एवं लेनदेन वार्ता में उसकी आवाज ब्यूरो के रिकार्डर में रिकॉर्ड होने से उसे उसकी आवाज का नमूना एवं अपने बचाव में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र कमांक 2348 दिनांक 13.09.2023 दिया गया। जिस पर आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि उक्त पत्र ने अपनी आवाज का नमूना नही देने एवं अपना स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय में पेश करने बाबत अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। पत्र की प्रति को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात् श्री प्रदीप कुमार कानि, श्री दिनेश कुमार एवं श्री भारत सिंह कानि को प्रेषित कर आरोपी देवकिशन शर्मा हैड कानि को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना हाथीपोल में जमा करवाया। परिवादी के भाई श्री हीरालाल खटीक को रूखसत किया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान परिवादी को समय करीब 11.00 एम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थिति हेतु पाबन्द कर रूखसत किया। मालाखाना आर्टीकल धोवन शिशिया, सिडीयां,मेमोरी कार्ड मोबाईल फोन इत्यादि को श्री सुरेश सोनी मालखाना प्रभारी को सुरक्षित मालाखाना में जमा करने हेतु संभलाये गये। तत्पश्चात पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री अंबालाल खटीक एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित आये। ब्यूरो जाब्ता को प्रेषित कर आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि को पुलिस थाना हाथीपोल से प्राप्त कर राजकीय चिकित्सालय से स्वास्थय परीक्षण करा रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात् समय करीब 01:25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री मांगीलाल बुनकर वरिष्ठ सहायक, श्री भगवती लाल माली कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री अंबालाल खटीक के ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो घटना स्थल रिश्वत राशि ग्रहण एवं बरामदगी स्थल भुवाणा चौराहा पहुंच नियमानुसार फर्द नक्शा मौका रिश्वत राशि बरामदगी स्थल मुर्तिब कर उपस्थित एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। बाद मय हमराहियान ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया।

तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री देवकिशन हैड कानि को तसल्ली देकर परिवादी श्री अंबालाल खटीक से दिनांक 06.09.2023 को दौहराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 20,000 रूपये रिश्वत की मांग कर वार्ता के दौरान ग्रहण किये गये 1000 रूपये के बारे में पुछा तो आरोपी ने बताया कि साहब माफ कर दो अंबालाल जी दिनांक 06.09.2023 को थाने पर आये थे जिस पर मेने इनकी प्रकरण में पुछताछ नोट पर हस्ताक्षर करवाये थे तथा इन्होने मुझे 1000 रूपये दिये थे वो 1000 रूपये मेने खर्च कर दिये है। इसके अतिरिक्त पुछताछ में आरोपी द्वारा पूर्व के कथन ही दोहराए गये एवं गलती करना स्वीकार किया। इसके बाद गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हेड कानि नम्बर 1282 पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर को माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर कमांक 01 पर प्रस्तुत किये जाने हेतु मय रिमाण्ड एवं पत्रावली पेश किया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 15 योम जेसी आदेश फरमाया जाने से माननीय न्यायायल से वारंट प्राप्त कर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करा रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार आरोपी श्री देवकिशन शर्मा पुत्र श्री नन्दराम शर्मा उम्र 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 2/212 मीरानगर भुवाणा जिला उदयपुर हाल हैड कानि नम्बर 1282 पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर द्वारा एक लोक सेवक के पद पर होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री अंबालाल खटीक के विरूध पुलिस थाना सुखेर में दर्ज प्रकरण संख्या 532/23 अन्तर्गत धारा 341,323,424,506,34 भादस जिसका अनुसंधान स्वयं के जिम्मे हो प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में दिनांक 06.09.2023 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जिस पर परिवादी के हाथा जोडी करने पर 5,000 रूपये देने की सहमति देकर सत्यापन के दौरान ही 1000 रूपये ग्रहण करना तथा शेष 4,000 रूपये ग्रहण करने की सहमति देने पर दिनांक 12.09.2023 को नियमानुसार कार्यवाही कर आरोपी श्री देवकिशन शर्मा हैड कानि

नम्बर 1282 पुलिस थाना सुखेर को परिवादी श्री अंबालाल खटीक से 4,000 रूपये अपने हाथों से ग्रहण कर भुवाणा चौराहे पर खडे एक सब्जी का लारी पर जाकर वहां रखी एक हरे रंग की प्लास्टिक की थैली में रखकर प्लास्टिक की थैली को सब्जी वाले की लारी के उपर रखी टोकरी के निचे रखना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (संशाधित 2018) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री रतनसिंह राजपूरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री देवकिशन शर्मा पुत्र श्री नन्दराम शर्मा, हैड कानि0 1282, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 244/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

13.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 2749-52 दिनांक 13.09.2023
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर।

13.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।